कार्यपालक अभियन्ता (यॉ0) का कार्यालय
सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, छपरा

(Irrigationmachanicalcpr@gmail.com)

पत्रांक 184 / छपरा, दिनांक 19-02-2026

भाड़े पर वाहन रखने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना– 09 / 2025–26

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, छपरा के कार्य क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न AFS Gate एवं नहर गेटो के स्थल निरीक्षण हेतु भ्रमण, तथा अन्य सरकारी कार्यो के लिए वितीय वर्ष 2026–27 में निर्धारित कार्यन्वित अवधि में परिचालन हेतु बोलेरो/ स्कार्पियो वाहन (चालक सहित) निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिको/फर्म से अल्पकालिन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। जिसका विवरण निम्नवत है:–

क्र0सं0	उपयोग करने वाले पदाधिकारी का पद नाम	गाड़ी परिचालन का कार्यान्वित अवधि	गाड़ी की संख्या	अभियुक्ति
01	कार्यपालक अभियंता (यॉ0)	मार्च 2026 से फरवरी 2027	1 अदद	

एक (01) अदद वाहन के लिए इच्छुक मालिकों/ट्रेवल एजेसियों से मुहर बन्द लिफाफा में वर्णित गाड़ी का भाड़े का दर कोटेशन निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन आमंत्रित किया जाता है :–

1. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :– दिनांक–19.02.2026
2. कोटेश प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक–27.02.2026 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक
3. कोटेशन प्राप्ति की तिथि का स्थान :– कार्यपालक अभियंता, का कार्यालय सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, छपरा
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक–27.02.2026 को 3:30 बजे अपराह्न में
5. कार्य विवरण तथा नियम एवं शर्ते :– अनुलग्नक के रूप में संलग्न।

नियम एवं शर्ते :–

1 कोटेशन के संबंध में अन्तिम निर्णय लेने एवं बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

2 गाड़ी के साथ अनुज्ञप्तिधारी चालक वाहन मालिक को उपलब्ध कराना होगा।

3 वाहन का ईधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नही होने पर पर अथवा वाहन की आवश्यकता नही रनहे पर कभी भी बिना सूचना के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है एकरारनामा रू0 1000 (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जाएगा, जिसका वहन वाहन मालिक को करना होगा।

4 जिला प्रशासन, सारण, छपरा के द्वारा बोलेरो/स्कॉर्पियो के निर्धारित दर/कम दर ही भुगतान किया जायेगा।

5 कोटेशन के साथ व्यवसायिक वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदुषण प्रमाण पत्र, GST Registration, Pan No. आदि उपलब्ध कराना होगा।

Scanned with CamScanner

6 वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रतिलिटर में जो अधिक हो मान्य होगा।

7 वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा क्षतिग्रस्त होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फार्म आपूर्तिकर्ता का होगा।

8 वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की जबावदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेगें।

9 वाहन उपयोग हेतु 24 घण्टे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/फार्म आपूर्तिकर्ता का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगें। साथ ही नियमित चालक की अनुपस्थिति में दूसरे वैकल्पिक चालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी वाहन मालिक/फार्म आपूर्तिकर्ता का ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर कटौती कर ली जायेगी।

10 कोटेशन के आधार पर रखे गये वाहन के भुगतान से GST एवं नियमानुसार अन्य कटौतियॉ की जाएगी।

11 शपथ–पत्र एवं वॉछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

12 एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लौटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फार्म आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा।

कोटेशनदाताओं को कोटेशन बन्द लिफाफा में वाहन से संबंधित सभी अद्यतन कागजातों (उपरोक्त कंडिका 05 में वर्णित) के साथ कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। विभाग में आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। अधिगृहित वाहन की एकरारित अवधि विभागीय निदेश के अनुरूप बढ़ाया–घटाया जा सकता है।

सो/-
कार्यपालक अभियंता (यॉ)
सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, छपरा

पत्रांकः– 184 छपरा/ दिनांकः– 19-02-2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्रों के प्रकाशन हेतु समर्पित।

19/02/26

कार्यपालक अभियंता (यॉ0)
सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, छपरा
19/02/26

Scanned with CamScanner